न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 01/2015 राजस्व अपील पत्र

उनवान

1. चिराग अली खां पिता भूरे खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

—— अपीलार्थी

बनाम

1 श्री मुन्शी खां पिता अहमद खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 श्री फकरू खां पिता अहमद खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 सुगरा पुत्री अहमद खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 लाड पुत्री अहमद खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 नूर बानू पुत्री अहमद खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 श्रीमति बतुल पत्नि अहमद खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा–डिलीट
7 श्री असगर उर्फ असफर खां पिता अस्तु खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
8 भंवरी पुत्री अस्तु खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा के बजाय–
8/1 ईद मोहम्मद पिता रोशन खां माता भंवरी पुत्री अस्तु खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
8/2 कला बानु पुत्री रोशन खां माता भंवरी पुत्री अस्तु खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
9 सुप्यार पुत्री अस्तु खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
10 आसिया पुत्री अस्तु खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
11 मनीरा पुत्री अस्तु खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
12 ग्राम पंचायत मेघरास तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच
13 राज. राज्य जरिये उपपंजीयक/तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 1635 आदेश दिनांक 05–08–2013 ग्राम पंचायत मेघरास

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर.....अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. श्री अरूण चन्द्र देराश्री.....रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 से 11
3. पैराकार सरकार.....प्रत्यर्थी कम 13

निर्णय

दिनांक – 12.04.2018

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम मेघरास, पटवार मण्डल मेघरास स्थित आराजी संख्या 1639, 1640, 1641, 1642, 1645, 1647, 1653, 1654, 1655, 1677, 1678, 1686, 1810, 1811, 1892, 1938, 1933, 2114, 2123, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 कुल किता 24 कुल रकबा 66–06 बीघा स्थित है। जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 11 के परिवार का मुताबिक सजरा स्व. भूरे खां के कोई सन्तान नही होने से भूरे खां ने अपने जीवनकाल मे अपने पिता के भाई अहमद खां के द्वितीय पुत्र चिराग अली खां को बचपन में ही गोद लिया जाकर अपना गोद पुत्र बना लिया, तथा सभी दस्तावेजात राशनकार्ड, मतदाता सूची, आदि में अपीलार्थी के नाम के आगे पिता की हैसियत से स्वर्गीय भूरे खां का नाम उल्लेखित किया जाता रहा है। स्व. भूरे खां की पत्नि अनार बानू के स्वर्गवास होने पर अधीनस्थ हल्का पटवारी ने विवादित नामान्तरकरण संस्थित किया, जिसमें अनार बानू पत्नि भूरे खां की विरासत से प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 11 का नाम उल्लेखित करते हुए नामान्तरकरण दर्ज कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.08.2013 को मृतक अनार बानू के विधिक वारिसान की जानकारी किये बिना ही नामान्तरकरण को निर्णय कर भारी भूल की, जिससे उक्त नामान्तरकरण संख्या 1635 वाकेयाती त्रुटिपूर्ण निरस्त योग्य है। हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संस्थित करते समय यह उल्लेख किया कि मृतक अनार बानू के कोई पुत्र व पूत्री नही है, जबकि अपीलार्थी अनार बानू के स्व. पति भूरे खां के जीवनकाल में ही अपने प्राकृतिक पिता अहमद खां से गोद लिया जाकर अपीलार्थी को गोद पुत्र घोषित किया गया। अपीलार्थी को स्व. भूरे खां ने अपने जीवनकाल मे गोद पुत्र बना लेने के उपरान्त स्व. भूरे खां की पत्नि अनार बानू जिसकी सेवा चाकरी अपीलार्थी द्वारा की गई, जिससे अनार बानू ने अपने जीवनकाल में ही एक अपंजीकृत वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर यह उल्लेखित किया कि मुझ अनार बानू के स्वर्गवास होने पर मेरी चल व अचल सम्पति श्री चिराग अली खां जिसको मेरे पति ने गोद लिया था, उसके पक्ष में वसीयत करती हुं। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के बजाय प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 11 का नाम संस्थित कर नामान्तरकरण निर्णित किया गया, जो निरस्त कराया जाकर अनार बानू के स्थान पर विरासत से चिराग अली खां पिता भूरे खां का नाम अभिलिखित कराने हेतु आदेश प्रदान कराया जावें।

उक्त तथाकथित नामान्तरकरण की जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.08.2015 को विधिवत नकल प्राप्त की गई तथा जानकारी होते ही यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है। किन्तु फिर भी सम्भाव्य तौर पर विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई ठोस खण्डन अभिलेख पर नहीं होने तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण को दिनांक 16.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स की तलबी की गई। दिनांक 22.02.2017 को प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगायत 05, 07, 09 लगायत 11 की और से अधिवक्ता श्री अरूण चन्द्र देराश्री द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर सुनवाई दिनांक 23.03.2017 को जवाब दफा–5 प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.09.2017 को मृतक प्रत्यर्थी क्रम 06 व 13 के कायम मुकाम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 जा.दी. प्रस्तुत किया, द्वितीय प्रति प्रत्यर्थी अधिवक्ता को दिलवाये जाने पर उनके द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त की गई, इस प्रकार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 जा.दी. सहमति से स्वीकार किया जाकर मृतक विपक्षी क्रम 06 का नाम अपील मेमो से लाल स्याही से डिलीट किये जाने व मृतक विपक्षी क्रम 11 के वैद्य प्रतिनिधीयों को रिकार्ड लिये जाने आशय की आज्ञा पारित की गई। मृतक विपक्षी क्रम 11 के वैद्य प्रतिनिधी सुचित होने ने उपरान्त भी नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण के गुणावगुण पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मेमो में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि पटवारी ने नामान्तरकरण संस्थित करते समय यह उल्लेख किया कि मृतक अनार बानू के कोई पुत्र व पूत्री नही है, जबकि अपीलार्थी अनार बानू के स्व. पति भूरे खां के जीवनकाल में ही अपने प्राकृतिक पिता अहमद खां से गोद लिया जाकर अपीलार्थी को गोद पुत्र घोषित किया गया। अपीलार्थी को स्व. भूरे खां ने अपने जीवनकाल मे गोद पुत्र बना लेने के उपरान्त स्व. भूरे खां की पत्नि अनार बानू जिसकी सेवा चाकरी अपीलार्थी द्वारा की गई, जिससे अनार बानू ने अपने जीवनकाल में ही एक अपंजीकृत वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित की। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के बजाय प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 11 का नाम संस्थित कर नामान्तरकरण निर्णित किया गया, जो निरस्त कराया जाकर अनार बानू के स्थान पर विरासत से चिराग अली खां पिता भूरे खां का नाम अभिलिखित कराने हेतु आदेश प्रदान कराया जावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थीगण ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, अपने प्रार्थनापत्र को गलत आधार देने की गरज से दिनांक 21.08.2015 को जानकारी देने सम्बन्धित तथ्य अंकित कराये है, जो गलत होकर अस्वीकार है। स्वर्गीय अनारबानू की विरासत का नामान्तरकरण विपक्षी संख्या 01 से 11 के नाम खुला जो पूर्ण विधिक प्रकिया अपनायी जाकर कानूनन सही खुला है। दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने यह कथन किया कि पक्षकारान मुस्लिम समाज के सदस्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुस्लिम विधि को मध्यनजर रखते हुए न्यायिक सिद्धान्तों के अधीन रह कर यह तथाकथित नामान्तरकरण निर्णित किया गया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात, आधार राजस्व अभिलेखों का अध्ययन/परीक्षण किया व अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागणो द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। हम अपीलार्थी पक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलार्थी के बिना जानकारी अपीलार्थी की पहचान सम्बन्धी जांच किये, बिना अपीलार्थी के अनार बानू पत्नि भूरे खां मुसलमान के यंहा गोद जाने सम्बन्धी जांच किये, अपीलार्थी के बजाय प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 11 का नाम संस्थित कर

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

नामान्तरकरण निर्णित कर त्रूटीपूर्ण अंकन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखो में अपीलार्थी के बिना जानकारी के दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार नही था। जो कि कानूनन तौर गलत है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप तथ्यो के सूक्ष्म परीक्षण उपरान्त तथा आधार अभिलेखों के अध्ययन व परिक्षण पश्चात, विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथ्यो एंव परिस्थितियों को मध्यनजन रखते हुए अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 1635 आदेश दिनांक 05–08–2013 ग्राम पंचायत मेघरास को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है कि तहसीलदार अपीलार्थी के भूरे खां अथवा अनार बानू के यंहा गोद जाने सम्बन्धी तथा पिता की भूमी में विरासत से अपीलार्थी का नाम दर्ज हुआ अथवा नही इन तथ्यों की जांच कर व उनकी पहचान सम्बन्धि समुचित साक्ष्य दस्तावेजी के अध्ययन/परिक्षण उपरान्त ही 3 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/अपील एलआर/1/2015 दिनांकः 12.04.2018

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)